न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00070

रामस्वरूप आयु 75 वर्ष आत्मज स्व0 चतरा कौम मेहर निवासी ग्राम कुंवारती तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बालापुरा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 123 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मथुरा वलद रामस्वरूप 1/2, गोपीलाल वल्द माछरया, औकारी बाई पुत्री माछरया हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज है । औंकारी बाई की मृत्यु होने से उसके 1/4 हिस्से पर पुत्री नन्दू बाई पत्नी घनश्याम खातेदार दर्ज हो चुका है । राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से मथरा व रामस्वरूप 1/2 के स्थान पर मथुरा वल्द रामस्वरूप 1/2 गलत अंकित कर दिया है जबकि मथुरा व रामस्वरूप अलग–अलग व्यक्ति हैं और मथरा का पति रामस्वरूप न होकर देवीलाल उर्फ देवराम है । उक्त अंकन दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में मथरा वल्द रामस्वरूप खातेदार के स्थान पर मथरा व रामस्वरूप हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे । मथुरा के 1/4 हिस्से में वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

4. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.12.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है और उक्त भूमियों के सम्बन्ध में पूर्व में भी एक राजस्व मुकदमा न्यायालय में चला था जिसमें उक्त भूमि वादी सहित अन्य के खातेदारी में दर्ज की गई थी और प्रतिवादी का ऐसा कोई विपरीत अभिकथन नही होने के उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने यह मानने में भूल की है कि उक्त भूमि अम्बा माताजी की है जबकि प्रतिवादी ने ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी ने परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी संवत् 2065 से 2068 में मथरा वल्द रामस्वरूप 1/2, गोपीलाल वल्द माछरया, औकारी बाई पुत्री माछरया हिस्सा 1/2 के खातेदारी में दर्ज है और औंकारी बाई की मृत्यु होने पर उसके 1/4 हिस्से पर पुत्री नन्दूबाई पत्नी घनश्याम के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी पर वादी वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है और उक्त भूमियों के सम्बन्ध में पूर्व में भी एक राजस्व मुकदमा न्यायालय में चला था जिसमें उक्त भूमि वादी सहित अन्य के खातेदारी में दर्ज की गई थी और प्रतिवादी का ऐसा कोई विपरीत अभिकथन नही होने के उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने यह मानने में भूल की है कि उक्त भूमि अम्बा माताजी की है जबकि प्रतिवादी ने ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया है । विधि का यह सर्वमान्य सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसको सुने बिना व सुनवाई का अधिकार दिये बिना उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय अथवा आदेश पारित नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया और जो व्यक्ति उसमें खातेदार है वे व्यक्ति वाद में पक्षकार नहीं होने के उपरान्त भी उसके विरूद्ध भी आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अम्बा माताजी के खातेदारी की है तथा हरला अम्बा माताजी का पुजारी है जो जोता दर्ज है । मंदिर की

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अम्बा माताजी के खातेदारी की है तथा हरला अम्बा माताजी का पुजारी है जो जोता दर्ज है । मंदिर की भूमि किसी व्यक्ति के खाते नहीं लगाई जा सकती । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैध रूप से उक्त भूमि को खाते दर्ज किया गया है जो विधि–विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट को इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादी ने परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बालापुरा की खाता संख्या 29 में खसरा नम्बर 123 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि मथरा व रामस्वरूप 1/2 हिस्सा व कल्याण 1/2 के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बालापुरा में खाता संख्या 28 में खसरा नम्बर 123 की रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा भूमि मथरा वल्द रामस्वरूप हिस्सा 1/2 व माछरा वल्द कल्याण हिस्सा 1/2 संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2041–2044 प्रदर्श–3 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मथरा वल्द रामस्वरूप 1/2 व माछरया वल्द कल्याण हिस्सा 1/2 संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 प्रदर्श– 4 संलग्न है अनुसार वादग्रस्त आराजी मथरा वल्द रामस्वरूप 1/2 व माछरया वल्द कल्याण हिस्सा 1/2 संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 प्रदर्श– 5 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 प्रदर्श– 6 संलग्न है जिसके अनुसार अनुसार वादग्रस्त आराजी मथरा वल्द रामस्वरूप 1/2 व माछरया वल्द कल्याण हिस्सा 1/2 संयुक्त, खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 प्रदर्श– 8, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श– 10 लगायत 13 संलग्न हैं । फोटो प्रति पर्चा खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 29 में वादग्रस्त आराजी अम्बा माताजी के खातेदारी में दर्ज है जिस पर जरिये पुजारी हरला वल्द भुवाना दर्ज है ।

12. वादी की ओर से बयान रामस्वरूप, चौथमल, दुर्गाशंकर कराये गये हैं ।

13. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड फोटो प्रति फोटो प्रति पर्चा खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 29 में वादग्रस्त आराजी अम्बा माताजी के खातेदारी में दर्ज है जिस पर जरिये पुजारी हरला वल्द भुवाना दर्ज है । उक्त भूमि को सेटलमेंट विभाग ने खातेदारी में दर्ज है जबकि वादग्रस्त आराजी अम्बा माताजी के खाते में दर्ज थी । मंदिर मूर्ति के खातेदारी की भूमि किसी व्वक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि सन् 1965 में सेटलमेंट ऑफिसर के यहॉ दिनांक 03.06.1965 को पत्रावली चलाकर निर्णय किया है । यहॉ यह बिन्दु भी विचारणीय है कि क्या सेटलमेंट ऑफिसर को यह अधिकार थे ? सेटलमेंट ऑफिसर ने किस आधार पर प्रोसेडिंग की ? सेटलमेंट विभाग को पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से

परिवर्तन करने अधिकार नहीं है । वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश किया है प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु आया है कि वादग्रस्त आराजी अम्बा माताजी के खातेदारी में दर्ज थी जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 14.11.2018 पेज 689 प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि नजीर के तथ्य एवं परिस्थितियॉ प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं ।

14. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00070

रामस्वरूप आयु 75 वर्ष आत्मज स्व0 चतरा कौम मेहर निवासी ग्राम कुंवारती तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 293/दावा/2016

रामस्वरूप आत्मज स्व0 चतरा कौम मेहर निवासी ग्राम कुंवारती तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 31.05.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री प्रेमशंकर गुर्जर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 31.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा